(Authoritative English text of this Department Notification No. PLG(A)3-2/96 dated 5-4- 1997 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

1902
22

Government of Himachal Pradesh
Economics and Statistics Department

22/4/97 No.PLG-(A)3-2/96 Dated Shimla-2, the 5-4-97

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Peon (Class-IV, Non-Gazetted), in the Economics and Statistics Department, as per Annexure"A" attached to this Notification namely:-

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Peon (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and Savings

2. (1) The Himachal Pradesh Directorate of Economics and Statistics Subordinate Class-IV Service Recruitment and Promotion and certain conditions of Service Rules.1972 notified vide this Department Notification No.9-11/71-Plan (Esstt), dated 18.07.1972 are hereby repealed to the extent these were applicable to the post of Peon.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

Financal Commissioner-cum-Secy.(Plg.) to the Govt. of Himachal Pradesh.

No. As above. Dated Shimla-2, the 5-4-97

Copy forwarded to:-

1. The Secretary (Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary (Per) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
5. The Controller, H.P. Printing & Stationery, Shimla-5 for publication in the Rajpatra.
6. The Economic Advisor, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
7. The Assistant Legislative Draftsman(Hindi/English), opinion of the Law Deptt., H.P., Secretariat, Shimla-171002.
8.
9. Guard file.

Ram Saroop Verma

Under Secretary(Planning) to the Governemnt of Himachal Pradesh.

99

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PEON CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post:	Peon
2. Number of Posts:	24(Twenty four)
3. Classification:	Class-IV(Non-Gazetted)
4. Scale of pay: (Be given in expanded notation)	Rs.750-1410 (with a start of Rs.770-30-950-35-1160-40-1320-45-1410)
5. Whether Selection Post or Non-Selection Post:	Non Selection
6. Age for direct recruitment:	Between 18 years and 35 years.

Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who concerned to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies are to be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will however, be admissible to such staff of Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the services of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note :- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits:	a) ESSENTIAL: "Should be Middle Pass or its equivalent from recognised Board of School Education/ Institution." b) DESIRABLE QUALIFICATION: Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Age: N.A. Educational Qualifications: N.A.
9. Period of Probation, if any :	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made :	N.A.
12. If the Departmental Promotion Committee exist, what is its composition?	Not Applicable
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C is to be consulted in making recruitment	As required under the law.

100

14. Essential requirement for a direct recruitment :

A candidate for appointment to any service or post must be :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d), and (e) shall be a person whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if recuriting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the recruiting authority.

16. Reservation:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Powers to Relax:

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग

संख्या: पीएलजी-ए(3)-2/96 तारीख शिमला-2, 5-4-97

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में चपड़ासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग चपड़ासी, (वर्ग-IV, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां — 2.(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 9-11/71-योजना (स्थापना) तारीख 18.07.72 द्वारा अधिसूचित अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के सबोर्डिनेट क्लास-IV सर्विसिज रिक्रूटमेंट एण्ड प्रमोशन एण्ड सर्टेन कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस रूल्ज, 1972 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये चपड़ासी के पद को लागू है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम-2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात अथवा कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जायेगी।

आदेशद्वारा
वित्तायुक्त एवं सचिव(अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: यथोपरि तारीख शिमला-2, 5-4-97

प्रतिलिपि:-

1. सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2.
4. महालेखाकार (आडिट) हिमाचल प्रदेश, शिमला-3.
5. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, [illegible] भाग-5 को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
6. [illegible] विधायी प्रारूपकार (हिन्दी/अंग्रेजी), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.
7. [illegible] पुस्तकालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1.

[illegible] प्रति।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव(अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध "अ"

अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश में चपड़ासी (अराजपत्रित) वर्ग-IV के पद के लिये भर्ती एवं पदोन्नति नियम ।

---

1. पद का नाम : चपड़ासी
2. पदों की संख्या: 24 (चौबीस)
3. वर्गीकरण: वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4. वेतनमान: (विस्तृत रूप में अंकित करें) रु. 750-1410 (770-30-950-35-1160-40-1320-45-1410 के साथ प्रारम्भ)
5. चयन पद अथवा अचयन पद: अचयन ।
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु: 18 से 35 वर्ष ।

परन्तु सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गये पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति

आवेदन, आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

§3§ अन्यथा सुसंगत अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	§क§ अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड संस्थान से आठवीं पास या इसके समकक्ष §ख§वान्छनीय अर्हताएं: हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा :	लागू नहीं –
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	लागू नहीं
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा:	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा: किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:.

(क) भारत का नागरिक या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगाण्डा, यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले, टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मालवा, जैयर और इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है।

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही दिया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन: सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण: उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-2 पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के, अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को अभिलिखित करके के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

१८